

ब अदालत तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील इन्दौरा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : /तह/2026

तारीख दायर : 05-01-2026

श्री महिन्दर पाल पुत्र शंकर दास, निवासी गांव चनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी ।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख ।

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री महिन्दर पाल पुत्र शंकर दास, निवासी गांव चनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसके दादा का नाम अन्य अभिलेखों तथा राजस्व महाल चनौर में धूमू दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है जबकि राजस्व अभिलेख महाल झंगराड़ा में प्रार्थी के दादा का नाम धर्मू दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस कारण उसके नाम की दुरुस्ती धर्मू की बजाये धूमू उपनाम धूमू राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री/मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-03-2026 को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/—

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील इन्दौरा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 29/तह/2026

तारीख दायर : 21-01-2026

श्री अजीत सिंह पुत्र ख्याली राम, निवासी गांव बलीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी ।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख ।

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री अजीत सिंह पुत्र ख्याली राम, निवासी गांव बलीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसका नाम अन्य अभिलेखों में अजीत सिंह दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है जबकि राजस्व अभिलेख महाल बलीर लोधवां में प्रार्थी का नाम जीत सिंह दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस कारण उसके नाम की दुरुस्ती

जीत सिंह की बजाये जीत सिंह उपनाम अजीत सिंह राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री/मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-03-2026 को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील इन्दौरा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० : /तह/2026

तारीख दायर : 24-01-2026

श्री दलगीर कुमार पुत्र दर्शन लाल, निवासी गांव कुलाड़ा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री दलगीर कुमार पुत्र दर्शन लाल, निवासी गांव कुलाड़ा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसका नाम अन्य अभिलेखों में दलगीर कुमार दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है जबकि राजस्व अभिलेख महाल कुलाड़ा में प्रार्थी का नाम दलगीर सिंह दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस कारण उसके नाम की दुरुस्ती दलगीर सिंह की बजाये दलगीर सिंह उपनाम दलगीर कुमार राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री/मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 06-03-2026 को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील इन्दौरा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० : /तह/2026

तारीख दायर : 24-01-2026

श्री महिन्द्र पाल पुत्र विशन दास, निवासी गांव कुलाड़ा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी ।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख ।

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री महिन्द्र पाल पुत्र विशन दास, निवासी गांव कुलाड़ा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने प्रार्थना की है कि उसका नाम अन्य अभिलेखों में महिन्द्र पाल दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है जबकि राजस्व अभिलेख महाल कुलाड़ा में प्रार्थी का नाम महिन्द्र सिंह दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस कारण उसके नाम की दुरुस्ती महिन्द्र सिंह की बजाये महिन्द्र सिंह उपनाम महिन्द्र पाल राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री/मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 06-03-2026 को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ।

ब अदालत तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील इन्दौरा,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मिसल नं० : /तह/2026

तारीख दायर : 29-01-2026

श्री दर्शन लाल पुत्र विशन दास, निवासी गांव कुलाड़ा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी ।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख ।

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री दर्शन लाल पुत्र विशन दास, निवासी गांव कुलाड़ा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने प्रार्थना की है कि उसका नाम अन्य अभिलेखों में दर्शन लाल दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है जबकि राजस्व अभिलेख महाल कुलाड़ा में प्रार्थी का नाम दर्शन सिंह दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस कारण उसके नाम की दुरुस्ती दर्शन सिंह की बजाये दर्शन सिंह उपनाम दर्शन लाल राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री/मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 06-03-2026 को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील इन्दौरा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 32/तह/2026

तारीख दायर : 05-02-2026

श्री राकेश कुमार पुत्र रणीया राम, निवासी गांव इन्दपुर थात, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री राकेश कुमार पुत्र रणीया राम, निवासी गांव इन्दपुर थात, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसका नाम अन्य अभिलेखों में राकेश कुमार दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है जबकि राजस्व अभिलेख महाल इन्दपुर में प्रार्थी का नाम राकेश सिंह दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस कारण उसके नाम की दुरुस्ती राकेश सिंह की बजाये राकेश सिंह उपनाम राकेश कुमार राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री/मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-03-2026 को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

समक्ष नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
821822/2026

तारीख मजरूआ
10-02-2026

तारीख पेशी
11-03-2026

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री राज्ञा राम पुत्र भगतू, निवासी महाल मलाणा, मौज़ा खावा, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

फरीक दोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री राज्ञा राम पुत्र भगतू, निवासी महाल मलाणा, मौज़ा खावा, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 10-02-2026 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम राज्ञा राम है, परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल मलाणा में राज्ञा दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाहन-पत्र तलबाना, नकल जमाबंदी, स्वघोषणा-पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र, निर्वाचन पहचान-पत्र, पैन कार्ड व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल मलाणा में प्रार्थी के पिता का नाम राज्ञा के स्थान पर राज्ञा राम पुत्र भगतू, निवासी महाल मलाणा, मौज़ा खावा, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 11-03-2026 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 10-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

केस नं0 : 05 / 2025

तारीख पेशी : 06-03-2026

किशोरी लाल

बनाम

राज कुमार आदि

विषय.—भूमि खाता नं0 68, खतौनी नं0 108 ता0 117, खसरा कित्ता 42, रकबा तादादी 03-16-42 है0 महाल टटैहल, हदबस्त नं0 706, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2023-24.

1. राज कुमार पुत्र रतन लाल, 2. अन्नत राम पुत्र तेजा पुत्र जोगा, 3. शशी बाला पुत्री संसार चंद, 4. सुमन बाला पुत्री संसार चंद, 5. अंजू बाला पुत्री संसार चंद, 6. रोशनी देवी विधवा संसार चंद, 7. उधम सिंह पुत्र दीहनू उपनाम रघुनाथ, 8. सुरेश चंद पुत्र साहब सिंह, 9. दीप चंद पुत्र खुशी राम, 10. प्रदीप चंद पुत्र खुशी राम, 11. कौशलया देवी पुत्री खुशी राम, 12. ब्रहमी देवी विधवा खुशी राम, 13. जंसबंत सिंह पुत्र साली प्रताप, 14. चंद पुत्र साली, 15. चिन्टू विधवा साली, 16. नारो देवी पुत्री साली, 17. सोमा देवी पुत्री साली,

18. हरनाम सिंह पुत्र साली, 19. मान सिंह पुत्र सुखा, 20. रोशनी देवी पुत्री सुखा, 21. शक्ति चंद पुत्र प्रमोध सिंह, 22. जगदीश चंद पुत्र प्रमोध सिंह, 23. अशोक चौहान पुत्र कुलदीप सिंह, 24. मधू पटियाल पुत्री कुलदीप सिंह, 25. आशा चौहान विधवा कुलदीप सिंह, 26. संजय कुमार पुत्र प्यार सिंह, 27. मंजीत सिंह पुत्र प्यार सिंह, 28. सरला देवी विधवा प्यार सिंह, 29. विनोद कुमार पुत्र प्रकाश चंद, 30. संजय ठाकुर पुत्र प्रकाश चंद सभी निवासीयान महाल टटैहल, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

उपरोक्त मुकदमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए, परन्तु साधारण तरीके से तामील न हुई। प्रार्थी ने सही पता पेश करने में असमर्थता व्यक्त की तथा इशतहार जारी करने का अनुरोध किया।

अतः अब इशतहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस केस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 06-03-2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 10-02-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी/तहसीलदार मुलथान,
जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

मुकदमा नं० : 02/2026

तारीख पेशी : 05-03-2026

उनवान मुकदमा :

गुडडी देवी पुत्री होला पत्नी दिना नाथ, गांव धरमाण, डा0 दयोत, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—आवेदन—पत्र बाबत जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकदमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त वादिया गुडडी देवी पुत्री होला पत्नी दिना नाथ, गांव धरमाण, डा0 दयोत ने प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 08-07-1968 को गांव धरमाण, डा0 दयोत, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हि0प्र0 में हुआ है वादिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अज्ञानता व भूलवश के कारण समय पर दर्ज नहीं करवा सके तथा अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत धरमाण को दर्ज करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादिया की जन्म तिथि 08-07-1968 ग्राम पंचायत धरमाण के अभिलेख जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-03-2026 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी

प्रकार का कोई भी उजर/एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी/तहसीलदार मुलथान,
जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 01/2026

तारीख पेशी : 05-03-2026

उनवान मुकद्दमा :

जय देवी पुत्री नारायण, गांव रूलिंग, डा0 कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, हाल पता पत्नी मुंशी राम गांव बड़ा भंगाल, डा0 बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—आवेदन—पत्र बाबत जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त वादिया जय देवी पुत्री नारायण, गांव रूलिंग, डा0 कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, हाल पता पत्नी मुंशी राम गांव बड़ा भंगाल, डा0 बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1974 को गांव रूलिंग, डा0 कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हि0प्र0 में हुआ है, वादिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अज्ञानता व भूलवश के कारण समय पर दर्ज नहीं करवा सके तथा अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत कोठी कोहड़ को दर्ज करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादिया की जन्म तिथि 01-07-1974 ग्राम पंचायत कोठी कोहड़ के अभिलेख जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-03-2026 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)**

In the matter of :

1. Akshay Thakur aged 35 years s/o Sh. Yash Pal Singh, r/o Village Lakhwal, Post Office Adhwani, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra H.P.
2. Anupama aged 29 years d/o Sh. Baijnath Pandey, r/o Village Unchepur, Post Office Narwa Pitambarpur, Tehsil Aalampur, Distt. Ambedkar U.P. Applicants.

Versus

General Public

Respondent.

Subject.—Notice for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 13-10-2021 at Village Lakhwal, Post Office Adhwani, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra H.P. and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 12-03-2026 at 11.00 A.M. The objection(s) after 12-03-2026 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered accordingly as per the law prescribed.

Issued on this 7th day of February, 2026 under my hand and seal of this office.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)**

In the matter of :

1. Amit Kumar aged 38 years s/o Sh. Ram Kumar, r/o Village Darang, Post Office & Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra H.P.
2. Rishu Bharti aged 35 years d/o Sh. Ram Parkash, r/o Village House No. 66, Lamini Chowk, P.O. Pathankot, Tehsil Pathankot, District Gurdaspur, Punjab. Applicants.

Versus

General Public

Respondent.

Subject.—Notice for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 10-05-2015 at House No. 66, Lamini Chowk, P.O. Pathankot, Tehsil Pathankot, District Gurdaspur, Punjab and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 24-03-2026 at 11.00 A.M. The objection(s) after 24-03-2026 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered accordingly as per the law prescribed.

Issued on this 7th day of February, 2026 under my hand and seal of this office.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).*
